तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज प्रा0 पत्र कन्टैम्प्ट संख्या 15/18 ओमवीर बनाम कृष्ण वीर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
31.10.23	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा आज फिर पुनः अप्रार्थी की तलबी हेतु अवसर चाह गया। गत पेशी 22.8.2023 पर भी अन्तिम अवसर दिया गया था लेकिन वकील अपीलान्ट द्वारा फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह पत्रावली 2.7.2018 से निरन्तर रैस्पोडेन्टस की तलबी में विचाराधीन रही है। करीब 6 साल के एक लम्बे अर्से से यह पत्रावली अप्रार्थीयों की तलबी में चलती रही है जबकि यह कानूनी प्रावधान है कि वादी को अपने प्रकरण में यथासंभव प्रयास कर न्यायिक प्रक्रियाओं की पूति कर अपने दायित्वों का जल्द से जल्द निर्वहन करते हुये पत्रावली पर बहस सुनिश्चित करें ताकि समय रहते वास्तविक न्यायगृहिता को न्याय प्रदान किया जा सके किन्तु यहां तो स्वयं अपीलान्ट के द्वारा ही रैस्पोडेन्ट की तलबी हेतु की जाने वाली मुनासिब कार्यवाही में कोताही बरती जा रही है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। निरन्तर रैस्पोडेन्टस की तलबी हेतु वकील अपीलान्ट को ताकीद की जाती रही है और गताज्ञा दिनांक 22.8.23 को भी न्यायहित में एक अन्तिम अवसर दिये जाने के बाबजूद आज पुनः अवसर चाहा जाना उनकी प्रकरण को आगे नहीं चलाने की मंशा को जाहिर करता है। लिहाजा बार–बार ताकीद किये जाने के उपरान्त भी वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की एक लम्बे अर्से से तलबी नहीं कराये जाने के कारण यह प्रकरण नोन–कम्पलायन्स में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। संभागीय आयुक्त भरतपुर	